संख्या-54/2021/17ई-2/तेरह-2021- 1145652

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः10 सितम्बर,2021

विषय- मेसर्स डी.सी.एम.श्रीराम लि.,डिस्टलिरी यूनिट अजबापुर, जनपद लखीमपुर खीरी को केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-38/दो-प्रा.डी.-30 दिनांक 26-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 26-08-2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम लिमिटेड डिस्टिलरी यूनिट अजबापुर, जनपद लखीमपुर खीरी को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा केन जूस / शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ - साथ केन जूस / शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 01-04-2021 द्वारा जिन शर्तो/ प्रतिबन्धों के साथ गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल / अल्कोहल उत्पादन करने हेतु अनापत्ति इकाई को निर्गत की गयी है का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानों एवं केन्द्र/राज्य द्वारा स्थापित सुसंगत अधिनियमों / नियमों का भी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एथनॉल उत्पादन का कार्य अपनी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता के अंतर्गत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए किया जायेगा

कृपया तदनुसार अग्रतर कायर्वाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।